

42/2019
07/11/19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक/कोर्ट/2019/42

दिनांक.....07/11/2019

—: निर्णय :-

तहसीलदार चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वन टू वन मैपिंग का कार्य सम्पादित करने के लिये ग्राम रामसरा पटवार मण्डल खांसोली की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 392 में खसरा नम्बर 514/115 रकबा 10.7368 हैक्टेयर के स्थान पर प्रथम भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.1217 हैक्टेयर किस्म बारानी तथा द्वितीय भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी दर्ज किया जाना उचित होगा। भू.अ. निरीक्षक रतननगर तथा पटवारी हल्का खांसोली द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम रामसरा पटवार मण्डल खांसोली की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 392 में खसरा नम्बर 514/115 रकबा 10.7368 हैक्टेयर के स्थान पर प्रथम भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.1217 हैक्टेयर किस्म बारानी तथा द्वितीय भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी शुद्ध किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चूरु ने भी ग्राम रामसरा पटवार मण्डल खांसोली की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 392 में खसरा नम्बर 514/115 रकबा 10.7368 हैक्टेयर के स्थान पर प्रथम भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.1217 हैक्टेयर किस्म बारानी तथा द्वितीय भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

अतः पटवारी हल्का खांसोली, भू.अ. निरीक्षक रतननगर तथा तहसीलदार चूरु की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अंतर्गत ग्राम रामसरा पटवार मण्डल खांसोली की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 392 में खसरा नम्बर 514/115 रकबा 10.7368 हैक्टेयर के स्थान पर प्रथम भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.1217 हैक्टेयर किस्म बारानी तथा द्वितीय भाग खसरा नम्बर 514/115 मीन रकबा 5.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



मोहर
उपखण्ड अधिकारी
चूरु